International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

आधुनिक भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव

शालू गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)
गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय बदायूं

शोधसार

यह शोधपत्र भारतीय संदर्भ में लैंगिक भेदभाव की समस्या का विश्लेषण करता है। 'लिंग' से आशय उन सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं से है जो समाज पुरुषों और महिलाओं को प्रदान करता है। समाज किस प्रकार दोनों के बीच अंतर करता है और उनके लिए अलग-अलग अपेक्षाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है, यही लिंग की अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह विचार इसलिए विकसित हुआ ताकि महिलाओं की अधीन स्थिति को केवल जैविक कारणों से जोड़ने की प्रवृत्ति को चुनौती दी जा सके और यह समझा जा सके कि असमानता सामाजिक संरचना का परिणाम है। इस अध्ययन में भारत में व्याप्त लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति उसके मूल कारणों तथा उसे दूर करने के संभावित उपायों पर चर्चा की गई है। भारतीय समाज के अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को महिलाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह असमानता जन्म के समय लिंगानुपात, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में लिंग आधारित अंतर तथा महिलाओं के कम आयु में विवाह जैसे संकेतकों में स्पष्ट दिखाई देती है। इस शोध के मुख्य उद्देश्य हैं- विभिन्न राज्यों में लैंगिक भेदभाव की स्थिति का विश्लेषण करना, इसके कारणों और तथ्यों को समझना तथा भारत में इसे कम करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना। यह अध्ययन सैद्धांतिक प्रकृति का है और इसमें विभिन्न पुस्तकों, शोध-पत्रों, पत्रिकाओं, आवधिक प्रकाशनों तथा विश्वसनीय वेबसाइटों से प्राप्त द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है जिनका उल्लेख संदर्भ सूची में किया गया है। परिवार स्तर पर महिलाओं के असशक्त होने के कारण उन्हें शिक्षा, रोजगार, आय, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता जैसे अवसरों तक सीमित पहुँच मिलती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय समाज के सामने यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सशक्त बनाए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करे और उन्हें सुरक्षित तथा सम्मानजनक भविष्य के लिए तैयार करे।

बीज शब्द - भारत, महिलाएं, लैंगिक असमानता, सशक्तिकरण , भेदभाव आदि।

1. प्रस्तावना

लैंगिक भेदभाव भारतीय पारंपरिक व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं में से एक रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेषकर आधुनिकीकरण के दौर में नीति-निर्माताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान जिन महत्वपूर्ण विषयों की ओर गया, उनमें लैंगिक मुद्दे प्रमुख थे। लैंगिक मुद्दों का संबंध केवल महिलाओं से ही नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों से है, हालांकि असमानता का अधिक प्रभाव महिलाओं पर दिखाई देता है। भारत में विभिन्न लैंगिक समस्याओं में से लैंगिक असमानता सबसे व्यापक रूप से देखने को मिलती है।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

आज के समय में लैंगिक असमानता का प्रश्न सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। नीति-निर्माताओं का मानना है कि यदि लैंगिक समानता और न्याय के प्रति सकारात्मक प्रतिबद्धता दिखाई जाए तो गरीबी उन्मूलन सहित विकास के हर क्षेत्र को मजबूती मिलेगी क्योंकि महिलाएँ समाज में नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण ला सकती हैं। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के विकास को लेकर निरंतर चर्चा हो रही है। इसी कारण अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन महिलाओं की उन्नति विकास प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी और उनके विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। नारीवाद (फेमिनिज़्म) की विचारधारा को भी धीरे-धीरे व्यापक बौद्धिक स्वीकृति मिल रही है। लिंग की अवधारणा उन भूमिकाओं और व्यवहारों से जुड़ी है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उनके जैविक अंतर के आधार पर निर्धारित करता है। बच्चे के जन्म के साथ ही परिवार और समाज उसके लिंग के अनुसार अपेक्षाएँ निर्धारित करने लगते हैं। हमारे समाज में पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है जबकि पुत्री के जन्म को कई बार चिंता या बोझ के रूप में देखा जाता है। लड़कों को साहसी और मिलनसार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जबकि लड़कियों को घर तक सीमित और संकोची रहने की सीख दी जाती है। ये सभी अंतर प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित लैंगिक भेद हैं। 'लिंग' शब्द पुरुष और महिला की सामाजिक-आर्थिक पहचान को दर्शाता है–अर्थात समाज किस प्रकार दोनों के बीच अंतर करता है और उन्हें अलग-अलग सामाजिक भूमिकाएँ प्रदान करता है। यह भेद इसलिए स्पष्ट किया गया ताकि महिलाओं की अधीनता को केवल उनके शारीरिक अंतर से जोड़कर न देखा जाए बल्कि सामाजिक संरचना की भूमिका को समझा जा सके।

2. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

जयचंद्रन (2014) ने अपने अध्ययन में विकासशील देशों में लैंगिक असमानता की जड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास किस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार ला सकता है और जैसे-जैसे कोई देश प्रगति करता है लैंगिक अंतर को कम किया जा सकता है।

डन (1998) ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला है जिन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण और सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। उनके अध्ययन में भारतीय समाज में इन वर्गों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि सामाजिक-आर्थिक विकास इन महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

थामस (2013) ने आधुनिक भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विभिन्न तथ्यों और आँकड़ों के माध्यम से भारत में प्रचलित असमानताओं को रेखांकित किया है तथा एशियाई और पश्चिमी देशों के साथ तुलना करते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है।

उद्देश्य:- अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

1-विभिन्न राज्यों में लैंगिक भेदभाव की स्थिति का अध्ययन और विश्लेषण करना।

2-लैंगिक असमानता के पीछे के कारणों और वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट करना।
3-भारत में लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना।

कार्यप्रणाली: यह शोध सैद्धांतिक स्वरूप का है। इसमें अलग-अलग लेखकों और शोधकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया है। आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए पुस्तकों, शोध-पत्रों, पत्रिकाओं, आवधिक प्रकाशनों और विश्वसनीय वेबसाइटों का अध्ययन किया गया है जिनका उल्लेख संदर्भ सूची में किया गया है।

लैंगिक भेदभाव: लैंगिक भेदभाव वह स्थिति है जिसमें केवल पुरुष या महिला होने के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी क्षेत्रों में असमान व्यवहार किया जाता है। इसे सामान्य रूप से लैंगिक पक्षपात भी कहा जाता है अर्थात् लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करना या उसे अलग दर्जा देना।

लैंगिक असमानता के प्रकार:

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमृत्य सेन (2001) ने भारत में विद्यमान लैंगिक असमानता के कई रूपों की पहचान की है। उनके अनुसार यह समस्या विभिन्न स्तरों पर दिखाई देती है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं–

1) मृत्यु संबंधी असमानता: इस स्थिति में महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में अधिक पाई जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण में भेदभाव के कारण महिलाओं को पर्याप्त देखभाल नहीं मिलती जिससे जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है।

2) जन्म संबंधी असमानता: कई परिवारों और समाजों में पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भ्रूण के लिंग की पहचान संभव होने के कारण लिंग-चयन जैसी प्रवृत्तियाँ भी सामने आई हैं जो इस असमानता को और बढ़ाती हैं।

3) रोजगार संबंधी असमानता: कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। बेहतर पद, वेतन और पदोन्नति में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे महिलाओं की प्रगति बाधित होती है।

4) संपत्ति संबंधी असमानता: संपत्ति के अधिकारों में भी लंबे समय से असमानता रही है। पारंपरिक व्यवस्था में संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार अधिक माना गया है। संपत्ति में हिस्सेदारी न होने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो जाती है जिससे वे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पातीं।

3. भारत में लैंगिक भेदभाव की स्थिति

जनसंख्या संरचना: भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है और लिंगानुपात अभी भी संतुलित नहीं है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होना यह दर्शाता है कि समाज में कहीं न कहीं लैंगिक असमानता मौजूद है। विभिन्न राज्यों में यह अनुपात अलग-अलग है–कुछ राज्यों में स्थिति बेहतर है जबकि कुछ में अभी भी गंभीर असंतुलन देखने को मिलता है।

लैंगिक भेदभाव के कारण: भारतीय समाज में पुत्र को प्राथमिकता देने की सोच लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे वंश चलाने की धारणा, संपत्ति के उत्तराधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा जैसे कारण जुड़े हुए हैं। यह मानसिकता लगभग हर वर्ग में पाई जाती है जिसके कारण बेटियों की उपेक्षा होती है। कभी-कभी यह भेदभाव अत्यंत गंभीर रूप ले लेता है जैसे तथाकथित 'ऑनर किलिंग' जहाँ परिवार अपनी बेटी या बहू को सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध जाने पर दंडित करता है। यदि कोई महिला तय सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करती तो उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसे परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण है। इस व्यवस्था में पुरुषों को परिवार और समाज में अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। संपत्ति का उत्तराधिकार प्रायः पुरुषों को मिलता है विवाह के बाद महिला पति के घर जाती है और कई स्थानों पर दहेज जैसी प्रथाएँ आज भी प्रचलित हैं। ये सभी कारक महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाते हैं।

लैंगिक भेदभाव को कम करने के प्रयास: स्वतंत्रता के बाद भारत ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और कानूनी अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है और लिंग के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार किया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे बड़ी संख्या में महिलाएँ पंचायतों और नगर निकायों में चुनी गईं। भ्रूण लिंग जाँच और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की गईं जिनका उद्देश्य उनके विकास और समान भागीदारी को सुनिश्चित करना है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद ने कई कानून बनाए हैं जैसे सती प्रथा पर रोक, दहेज निषेध, विशेष विवाह अधिनियम आदि। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक और समान स्थान दिलाना है फिर भी केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज की सोच और मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकती। महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

संसद समय-समय पर समाज की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन करती रही है ताकि महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिल सके। उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड संहिता में धारा 304-बी जोड़ी गई जिसके अंतर्गत दहेज से संबंधित मृत्यु या दुल्हन को जलाने की घटनाओं को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए कठोर दंड, यहाँ तक कि आजीवन कारावास का प्रावधान है। यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून और संरक्षण व्यवस्थाएँ लागू हैं फिर भी वास्तविक स्थिति अपेक्षित नहीं है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध चिंताजनक स्तर पर बने हुए हैं। दहेज प्रथा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएँ भी समाज में मौजूद हैं।

4. सुझाव

लैंगिक असमानता जैसी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला है। महिलाओं को राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए जिससे वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें और समाज में संतुलन स्थापित हो सके।

सरकार को लिंग निर्धारण और लिंग-चयन आधारित गर्भपात पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस दिशा में गैर-सरकारी संगठन भी जागरूकता फैलाकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दें।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलें तभी सफल होंगी जब समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा।

5. **सिफारिशें**

- लड़कों और लड़कियों दोनों को समान रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के अवसर मिलें।
- स्कूलों के पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और वातावरण की समीक्षा कर उनमें मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जाए।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, वित्त, उद्यमिता, कला और मानविकी जैसे सभी विषयों को दोनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए।
- युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि वे समझ सकें कि लैंगिक रूढ़ियाँ शिक्षा, करियर और आय के अवसरों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. **Barro, R. J., & Lee, J.-W.** (1994). Sources of economic growth. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 40*, 1–46. https://doi.org/10.1016/0167-2231(94)90002-7

2. **Berta-Esteve-Volart, B.** (2007). *Gender discrimination and growth: Theory and evidence from India* (Doctoral dissertation). London School of Economics and Political Science.

3. **Kabeer, N.** (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change, 30*(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

4. **Ranganath, S. N., & Raju, K. T.** (2009). Gender development in India: Dimensions and strategies. *Management Trends, 6*(1–2), 120–126.

5. **Razavi, S.** (2003). *Women's changing roles in the context of economic reform and globalization*. Background paper prepared for the *Education for All Global Monitoring Report 2003/2004*. UNESCO.

6. **Seguino, S.** (2000). Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis. *World Development, 28*(7), 1211–1230. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00018-8